प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.02.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.02.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंकित पांचाल द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा-69 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त द्वारा वादिया से रुपया व जेवर लेकर वापस ना करने व वादिया द्वारा माँगने पर जान से मारने की धमकी देने के सुसंगत साक्ष्य पाये जाने पर अभियोग में धारा- 316(2) /351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 20.02.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पांचाल पुत्र प्रवेस पांचाल निवासी कच्चा बलराम नगर निकट मोक्षधाम लोनी गाजियाबाद
उम्र करीब 28 वर्ष को संगम विहार के 25 फुटा सरस्वती विहार के पास लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। दोस्ती के दौरान मेरे द्वारा पीड़िता को विश्वास में लेकर कुछ रुपया भी ले लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अंकित पांचाल पुत्र प्रवेस पांचाल निवासी कच्चा बलराम नगर निकट मोक्षधाम लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना अनुमति के बजा रहा डीजे मय वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 20/21.02.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. रवि पुत्र आशाराम निवासी म0नं0 60 गली नं0 1 सबोली खड्डा थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष व 2. इरशाद पुत्र सब्बीर निवासी गली न0 12 म0नं0 ए 155 मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष को मास्टर फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार कर बिना अनुमति के बजा रहा डीजे मय वाहन को जब्त कर सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 292 बीएनएस व 5/6 ध्वनि प्रदूषण के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण उपरोक्त शादियों की बुकिंग के हिसाब से डीजे की सुविधायें उपलब्ध कराते हैं तथा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिना परमीशन देर रात्रि में डीजे बजाकर धन अर्जित करते हैं। इसीक्रम में मास्टर फार्म हाऊस के पास सर्विस रोड़ पर शादी में डीजे बजा रहा थे कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. रवि पुत्र आशाराम निवासी म0नं0 60 गली नं0 1 सबोली खड्डा थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष।
2. इरशाद पुत्र सब्बीर निवासी गली न0 12 म0नं0 ए 155 मौजपुर थाना जाफराबाद दिल्ली उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- बिना अनुमति के बज रहा डीजे मय वाहन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 720 ग्राम गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 20.02.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त खुशी लाल पुत्र जीवन लाल निवासी आंखला फेस 02 डी 01/04 जीवन जनता कैम्प थाना फेस 0। दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को संतुष्टि स्वीट्स के सामने पार्क में जाने वाला रास्ते सेक्टर-04 वैशाली से 01 किलो 720 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त बरामद गांजा सीलमपुर दिल्ली से लाता है, जिसे अभियुक्त कौशाम्बी व दिल्ली एनसीआर में नशा करने वाल व्यक्तियों को घूम-घूम कर बचता है। इसीक्रम में अभियुक्त उपरोक्त को चैकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

खुशी लाल पुत्र जीवन लाल निवासी ओखला फेस 02 डी 01/04 जीवन जनता कैम्प थाना फेस 0। दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01 किलो 720 ग्राम गांजा बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियाग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।